

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क्र. :- 418/2014)

(संस्थित दिनांक :- 26/05/14)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

/// विरुद्ध ///

01. मुकेश कुमार रजक पुत्र हिम्मताराम रजक उम्र 25 वर्ष।
निवासी :- ग्राम कदवा, थाना-जतारा, जिला-टीकमगढ़ (म.प्र.)
हाल निवासी :- टीकाराम किरार का मकान मालनपुर, जिला-भिण्ड।
..... अभियुक्त।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक :- 17/07/2017 को घोषित)

01. आरोपी मुकेश कुमार पर धारा :- 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक :- 15/03/2014 को शाम लगभग 07:20 बजे फायर बिग्रेड स्टेशन के सामने रिठौरा रोड़ मालनपुर सार्वजनिक स्थान पर, अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक 315 बोर का कट्टा एवं एक 315 बोर का जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखा।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 15/03/2014 को थाना मालनपुर की उप निरीक्षण डिम्पल मौर्य मय फोर्स आरक्षक क्रमांक 02 राकेश एवं आरक्षक क्रमांक 03 इन्दल के साथ प्राइवेट वाहन से कस्बा गश्त हेतु रवाना हुई थी। एटलस तिराहे पहुँचने पर उसे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति फायर बिग्रेड स्टेशन के सामने रिठौरा रोड़ पर वारदात करने की नियत से कट्टा लेकर खड़ा हुआ है। सूचना की तश्दीक हेतु मय आरक्षक मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँची तो सड़क के दाहिने तरफ फायर बिग्रेड स्टेशन के सामने खड़ा एक व्यक्ति मिला, जिसे धीरे-धीरे पकड़ा। आरोपी की तलाशी ली गई, तो तलाशी के दौरान पेंट में बेल्ट के नीचे कमर में बाईं तरफ एक 315 बोर का कट्टा मिला, जिसे खोलकर देखने पर कट्टा की बैरल में एक 315 बोर का जिंदा कारतूस मिला। उक्त आयुध को रखने के संबंध में लाइसेंस वावत् पूछे जाने पर आरोपी ने कोई लाइसेंस ना होना व्यक्त किया। आरोपी से उसका नाम, पता पूछने पर उसने अपना नाम मुकेश कुमार रजक पुत्र हिम्मताराम, निवासी : ग्राम कदवा, थाना : जतारा, जिला-टीकमगढ़, हाल : टीकाराम का मकान मालनपुर का होना बताया। आरोपी का कृत्य धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत

दण्डनीय होने से साक्षीगण विनोद एवं इन्दर सिंह के समक्ष आरोपी से मौके पर 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस विधिवत् जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। साक्षीगण के समक्ष आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् मय आरोपी एवं जब्तशुदा माल के थाने वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 62/2014 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्षी विनोद एवं इन्दर सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये। जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूस का परीक्षण कराया गया, जिला दण्डाधिकारी भिण्ड से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त मुकेश कुमार के विरुद्ध धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी मुकेश कुमार ने दिनांक :- 15/03/2014 को शाम लगभग 07:20 बजे फायर बिग्रेड स्टेशन के सामने रिठौरा रोड़ मालनपुर सार्वजनिक स्थान पर, अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक 315 बोर का कट्टा एवं एक 315 बोर का जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखा?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01

07. अभियोजन साक्षी डिम्पल मौर्य अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 15/03/2014 को थाना मालनपुर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को वह रोजनामचा सान्हा क्रमांक 509 में रवानगी अंकित कर हमराह फोर्स आरक्षक क्रमांक 02 राकेश, आरक्षक इन्दर के साथ कस्बा गश्त हेतु रवाना हुई थी। साक्षी आगे कहती है कि तभी एटलस चौराहा पर पहुँचने पर जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि फायर बिग्रेड स्टेशन के पास रिठौरा रोड़ पर एक व्यक्ति कट्टा लेकर अपराध कारित करने की नियत से खड़ा है। सूचना की तश्दीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँची, तो सड़क की दाईं तरफ एक फायर बिग्रेड के

सामने एक व्यक्ति खड़ा था, जिसे घेरकर पकड़ा। साक्षी आगे कहती है कि उक्त व्यक्ति की जामा तलाशी लेने पर पेंट में बेल्ट के नीचे कमर में बाईं तरफ एक 315 बोर का कट्टा, जिसका चैम्बर खोलने पर उसमें एक 315 बोर का जिंदा कारतूस मिला। आरोपी से कट्टा एवं कारतूस रखने के संबंध में लाईसेंस चाहा, तो उसने कोई लाईसेंस ना होना व्यक्त किया। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम मुकेश कुमार पुत्र हिमतराम, निवासी : ग्राम कढवां, जिला-टीकमगढ़ का होना बताया। साक्षी आगे कहती है कि उसके द्वारा आरोपी से साक्षीगण के समक्ष मौके पर कट्टा जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.03 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके द्वारा आरोपी मुकेश को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.04 बनाया, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहती है कि तत्पश्चात् मय माल आरोपी को थाना वापस लाया गया, जहाँ उसके द्वारा रोजनामचा सान्हा क्रमांक 511 पर वापसी इन्द्राज की गई थी, जो उसके हस्तलेख में है। साक्षी आगे कहती है कि उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 62/2014 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 लेखबद्ध की गई, जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहती है कि न्यायालय में प्रस्तुत कट्टा एवं कारतूस वही कट्टा एवं कारतूस हैं, जो उसके द्वारा आरोपी से घटनास्थल पर जब्त किये गये थे। कट्टा आर्टिकल ए-01 है तथा कारतूस आर्टिकल ए-02 है।

08. अभियोजन साक्षी आरक्षक इन्दर सिंह अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 15/03/2014 को थाना मालनपुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य के साथ गश्त पर गया हुआ था। गश्त करते हुए जब वह एटलस तिराहे पर पहुँचे, तब डिम्पल मौर्य को किसी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति कट्टा लगाकर रिठौरा रोड़ मालनपुर पर फायर बिग्रेड ऑफिस के सामने घूम रहा है। साक्षी आगे कहता है कि उस सूचना की तश्दीक में वह, उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य एवं साथ में मौजूद पुलिस बल के साथ फायर बिग्रेड ऑफिस की तरफ गया। साक्षी आगे कहता है कि तब वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा मिला, जिसको घेराबंदी कर पकड़ा और उसकी जामा तलाशी एसआई डिम्पल मौर्य ने ली। साक्षी आगे कहता है कि उसके कमर में बाये तरफ एक कट्टा 315 बोर का लगा मिला, कट्टा को खोलकर देखे जाने पर उसके चैम्बर में 315 बोर का एक जिंदा राउण्ड लगा हुआ था। डिम्पल मौर्य द्वारा उक्त कट्टे के संबंध में एवं आरोपी के नाम के संबंध में पूछताछ किये जाने पर आरोपी ने अपना नाम मुकेश कुमार रजक बताया। आरोपी से लाईसेंस वावत् पूछे जाने पर उसने ना होना व्यक्त किया। साक्षी आगे कहता है कि घटना शाम लगभग सवा सात बजे की है। तत्पश्चात् आरोपी से उक्त कट्टा एवं कारतूस जब्त कर एसआई डिम्पल मौर्य ने जब्ती पंचनामा प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.04 बनाया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहती है कि जब्तशुदा आयुध को मौके पर सीलबंद कर मय माल मुल्जिम थाना वापस आकर रोजनामचा में वापसी अंकित कर एसआई डिम्पल मौर्य द्वारा आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। साक्षी आगे कहता है कि उसके

कथन एसआई डिम्पल मौर्य ने मौके पर ही लेखबद्ध किये थे।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में डिम्पल मौर्य अ.सा.04 का कहना है कि वह थाना मालनपुर से शाम सात बजे भ्रमण के लिए रवाना हुई थी। जबकि उसके साथ गये आरक्षक इन्दर अ.सा.03 का प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में कहना है कि वह लोग गश्त के लिए थाना मालनपुर से शाम 06 बजे रवाना हुये थे। इस प्रकार डिम्पल मौर्य, आरक्षक इन्दर एवं राकेश के साथ थाना मालनपुर से शाम 06 बजे अथवा शज़ाम 07 बजे किस समय रवाना हुई थी, इस वावत् उक्त दोनों साक्षीगण के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य एक घण्टे का गंभीर विरोधाभाष है।

10. साक्षी इन्दर अ.सा.03 उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में गश्त के लिए शासकीय वाहन से जाना दर्शित करता है, जबकि उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य अ.सा.04 द्वारा लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 में डिम्पल मौर्य, राकेश एवं इन्दर सिंह का प्राइवेट वाहन से कस्बा गश्त हेतु रवाना होने का उल्लेख है। डिम्पल मौर्य अ.सा.04 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य इस वावत् मौन है कि वह साथी पुलिसकर्मियों के साथ प्राइवेट वाहन से घटनास्थल पर गई थी, अथवा शासकीय वाहन से। इस प्रकार इस वावत् डिम्पल मौर्य अ.सा.04, इन्दर सिंह अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं डिम्पल मौर्य द्वारा लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 के तथ्यों के मध्य ऐसे विरोधाभाष एवं लोप है, जो कि गंभीर प्रकृति के होने के कारण अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाते हैं।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में डिम्पल मौर्य अ.सा.04 का कहना है कि उसे मुखबिर द्वारा सूचना एटलस तिराहा पर शाम लगभग 07:15 बजे प्राप्त हुई थी और वह फायर ब्रिगेड स्टेशन चौराहा अर्थात् घटनास्थल पर शाम लगभग 07:20 बजे पहुँच गई थी। जबकि कथित रूप से उसके साथ गये आरक्षक इन्दर सिंह अ.सा.03 का प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में यह कहना है कि सवा सात बजे मुखबिर की सूचना प्राप्त होने के एक मिनट बाद 07 बजकर 16 मिनट पर घटनास्थल पर पहुँच गये थे। इस प्रकार उक्त साक्षीगण घटनास्थल पर कितने बजे पहुँचे थे, इस वावत् भी उक्त साक्षीगण के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है।

12. आरक्षक इन्दर अ.सा.03 जब्ती एवं गिरफ्तारी दोनों का ही समय 07:20 बजे होना बताता है, जबकि उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य अ.सा.04 प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में आरोपी को शाम लगभग 07:30 बजे गिरफ्तार करना बताती है। इस प्रकार आरोपी मुकेश के गिरफ्तारी के समय के संदर्भ में भी उक्त दोनों साक्षीगण के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभाष है।

13. आरक्षक इन्दर अ.सा.03 मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 03 में उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य द्वारा जब्तशुदा आयुध को मौके पर सीलबंद करना दर्शित करता है, जबकि उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य अ.सा.04 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि उसके द्वारा जब्तशुदा आयुधों को सीलबंद किया गया था।

उल्लेखनीय यह भी है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.03 में कथित रूप से जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूस को सीलबंद किये जाने का उल्लेख तो है, पर उक्त सीलबंद करने की कार्यवाही कहाँ की गई, इसका कोई उल्लेख नहीं है और जब्ती पत्रक प्र.पी.03 पर कोई सीलनमूना भी अंकित नहीं है। यह तथ्य जब्तशुदा आयुधों के सीलबंद किये जाने के तथ्य को संदेहास्पद बनाता है और जब्तशुदा आयुधों का सीलबंद ना किया जाना इस तथ्य को संदेहास्पद बनाता है कि न्यायालय में प्रस्तुत कट्टा आर्टिकल ए-01 एवं कारतूस आर्टिकल ए-02 वही कट्टा एवं कारतूस है, अथवा नहीं, जो कथित रूप से आरोपित घटना में घटनास्थल पर आरोपी से जब्त किये गये थे। उल्लेखनीय यह भी है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.03 पर कथित रूप से जब्तशुदा कट्टा का अवश बना हुआ है, परन्तु उस पर जब्तशुदा कारतूस का कोई अवश नहीं बना। उक्त कारतूस का अवश क्यों नहीं बनाया गया, इस वावत् अभियोजन साक्षीगण मौन है, जो कि कारतूस के जब्ती के तथ्य को संदेहास्पद बनाता है।

14. मुख्य-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में इन्दर अ.सा.03 का कहना है कि उसके कथन उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य द्वारा मौके पर ही लेखबद्ध किये गये थे। जबकि विवेचक राधेश्याम जाट अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि उसके द्वारा आरक्षक इन्दर अ.सा.03 के कथन लेखबद्ध किये गये थे। डिम्पल मौर्य अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह कहना नहीं है कि आरक्षक इन्दर अ.सा.03 के कथन उसके द्वारा लेखबद्ध किये गये थे। इस प्रकार आरक्षक इन्दर अ.सा.03 के कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किये जाने के पूर्व लेखबद्ध किये गये थे, अथवा उसके पश्चात् और उक्त कथन किसके द्वारा लेखबद्ध किये गये थे, इस वावत् इन्दर अ.सा.03, डिम्पल अ.सा.04 एवं राधेश्याम अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

15. साक्षी राजकिशोर अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक :- 26/03/2014 को पुलिस लाईन भिण्ड में प्रधान आरक्षक आरमोरर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 62/2014 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम में जब्तशुदा एक 315 बोर का कट्टा एवं एक 315 बोर के जिंदा कारतूस सफेद कपड़े में सीलबंद आरक्षक 259 देवेन्द्र सिंह थाना मालनपुर के द्वारा जांच हेतु प्राप्त हुआ था। उक्त कट्टा की सम्पूर्ण लम्बाई 09 इंच, बैरल की लम्बाई 05 इंच, बॉडी की लम्बाई 03 इंच, ग्रीप की लम्बाई 2.5 इंच, ग्रीप लकड़ी का लगा था, कट्टा की बॉडी पीतली थी, बैरल एवं फायरिंग पिन लोहे की लगी हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि कट्टा का एक्शन चैक करने पर एक्शन सही पाया गया, कट्टा चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था। एक 315 बोर का कारतूस चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था, जिसकी पैदी पर 08 एम.एम.के.एफ. लिखा था। इस वावत् उसके द्वारा दी गई जाँच आयुध रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर एवं बी से बी भाग नमूना सील पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी राजकिशोर अ.सा.01 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा दी गई जाँच रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों से भी हो

रही है। प्रति परीक्षण उपरांत भी राजकिशोर अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तात्त्विक रूप से अखण्डित रहा है। राजकिशोर अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि राजकिशोर अ.सा.01 द्वारा जांचशुदा 315 बोर का कट्टा चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था और जांचशुदा 315 बोर का जिंदा कारतूस भी फायर किये जाने योग्य था।

16. साक्षी योगेन्द्र सिंह अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक :- 22/04/2014 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स क्लर्क के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र क्रमांक 214, दिनांक : 09/04/2014 द्वारा थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 62/14 से संबंधित केस डायरी एवं आयुध सील बंद आरक्षक देवेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अवलोकन करने के पश्चात् अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी एम.सिवि.चक्रवर्ती द्वारा अभियुक्त मुकेश रजक पुत्र हिम्मताराम, के आधिपत्य से एक कट्टा 315 बोर एवं एक जिंदा कारतूस 315 बोर का अवैध रूप से पाये जाने के कारण अभियोजन स्वीकृति प्रदान की थी। उक्त अभियोजन स्वीकृति प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए एवं बी से बी भागों पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी एम.सिवि.चक्रवर्ती के हस्ताक्षर हैं तथा सी से सी एवं डी से डी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसने श्री एम.सिवि.चक्रवर्ती के अधीनस्थ के रूप में लगभग एक वर्ष तक कार्य किया है, इसलिए वह उनके हस्तलेख एवं हस्ताक्षरों को पहचानता है। साक्षी योगेन्द्र सिंह अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि अभियोजन स्वीकृति प्र.पी.02 के तथ्यों से भी हो रही है। योगेन्द्र सिंह अ.सा.02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है। उक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि आरोपी मुकेश कुमार के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति विधिवत् प्रदान की गई थी।

17. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी मुकेश कुमार ने दिनांक :- 15/03/2014 को शाम लगभग 07:20 बजे फायर बिग्रेड स्टेशन के सामने रिठौरा रोड़ मालनपुर सार्वजनिक स्थान पर, अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक 315 बोर का कट्टा एवं एक 315 बोर का जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखा।

अंतिम निष्कर्ष

18. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी मुकेश कुमार के विरुद्ध धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी मुकेश कुमार को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-B(a)) से दोषमुक्त किया जाता है।

19. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

20. प्रकरण में जब्तशुदा कट्टा एवं जिंदा कारतूस अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित कर व्ययनित किये जायें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद